सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 57/2019 दायर दिनाँक 06.02.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. बजरंगसिंह पुत्र भँवरसिंह, उम्र–75साल, जाति–राजपूत, निवासी–तारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. गोमसिंह पुत्र सादुलसिंह, 3. तेजसिंह पुत्र सादुलसिंह, 4. बालसिंह पुत्र सादुलसिंह, 5. श्रवणसिंह पुत्र सादुलसिंह, 6. रिछपालसिंह पुत्र सादुलसिंह, 7. प्रेमकँवर पत्नी सादुलसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–तारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रिकॉर्ड दुरस्ती, अन्तर्गत धारा 136 R.T. Act.

उपस्थितः—

1. श्री औमप्रकाश पूनियाँ, वकील, वादी।

दिनाँक 15.02.2019

—:: निर्णय ::—

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, सरहद तारपुरा में खेत खसरा नम्बर 198 रकबा 03.4400 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 202 रकबा 1.9100 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है जो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 07 के संयुक्त खातेदारी, हक अधिकार व कब्जाकाश्त की भूमि है।

वादी के पिता की फौतगी के बाद उक्त राजस्त रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम सांवतसिंह अंकित कर दिया गया। वादी के अन्य दस्तावेजात् यथा— निर्वाचन परिचय–पत्र, आधार–कार्ड, राशन–कार्ड, आदि

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 57/2019
दायर दिनाँक 06.02.2019, निर्णय दिनाँक 15.02.2019
बजरंगसिंह बनाम् तहसीलदार डीडवाना।

में वादी के पिता का नाम भँवरसिंह दर्ज है इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम सहवन से सांवतसिंह दर्ज है।

वादी के पिता के नाम की उक्त भिन्नता के कारण वादी को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा सरकार सहायता प्राप्त करने भी दिक्कतें आती है। प्रतिवादी संख्या 01 के भूमिधारी होने से तथा प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 07 के सहखातेदार होने से उन्हें वाद में पक्षकार बनाया गया है।

दिनाँक 29.01.2019 को नकल खतौनी लेने पर वादी के पिता के नाम की भिन्नता का वादी को पता चला जिससे बिनाय दावा उत्पन्न हुआ जो लगातार उत्पन्न हो रहा है।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद तारपुरा में खेत खसरा नम्बर 198 रकबा 03.4400 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 202 रकबा 1.9100 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी के नाम में इन्द्राज "बजरंगसिंह पुत्र सांवतसिंह" के स्थान पर "बजरंगसिंह पुत्र भँवरसिंह" दुरस्त किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 के बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 07 की ओर से वाद में इकबालिया जवाब पेश हुआ।

वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम तारपुरा सम्वत् 2073–2076 खेवट संख्या 19 खसरा नम्बर 198, 202 की प्रमाणित प्रतिलिपि, राजस्थान–सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड संख्या 00351 मुखिया का नाम बजरंगसिंह पुत्र पुत्र भँवरसिंह ग्राम तारपुरा की स्वप्रमाणित

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 57 / 2019
दायर दिनाँक 06.02.2019, निर्णय दिनाँक 15.02.2019
बजरंगसिंह बनाम् तहसीलदार डीडवाना।

प्रतिलिपि, भारत–सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 923385079276 नाम–बजरंगसिंह पुत्र भँवरसिंह की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र संख्या MTW / 1126507 निर्वाचक का नाम– बजरंगसिंह पुत्र भँवरसिंह की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

विद्वान वकील वादी की सारगर्भित एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 07 ने इकबालिया जवाब पेश कर दिया है। विद्वान वकील वादी की इस्तदुआ है कि, वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान इन्द्राज में बजरंगसिंह पुत्र सांवतसिंह सहवन से दर्ज है व वादी के अन्य वाद वर्णित दस्तावेजात् में बजरंगसिंह पुत्र भँवरसिंह दर्ज है जिससे वादी को अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ पेश आती है इसलिए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के दिगर दस्तावेजात् की भाँति– "बजरंगसिंह पुत्र सांवतसिंह" के स्थान पर "बजरंगसिंह पुत्र भँवरसिंह" ही दुरस्त किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया।

वाद का किसी पक्षकार की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 07 का इकबालिया जवाब है जिसमें प्रतिवादीगण ने वाद में अपनी सहमति पेश की है विद्वान वकील वादी की इस्तदुआ व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया जाकर, वादी द्वारा पेश शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज इन्द्राज वादी "बजरंगसिंह पुत्र सांवतसिंह" के स्थान पर "बजरंगसिंह पुत्र भँवरसिंह" दुरस्त किया जाना अदालत को जायज लगता है।

अतः, वाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व-वाद, संख्या 57 / 2019
दायर दिनाँक 06.02.2019, निर्णय दिनाँक 15.02.2019
बजरंगसिंह बनाम तहसीलदार डीडवाना।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद तारपुरा में खेत खसरा नम्बर 198 रकबा 03.4400 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 202 रकबा 1.9100 हैक्टेयर भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता के नाम का वर्तमान इन्द्राज "बजरंगसिंह पुत्र सांवतसिंह" के स्थान पर "बजरंगसिंह पुत्र भँवरसिंह" दुरस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **15.02.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्‌दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **57 / 2019** दायर दिनाँक **06.02.2019**

वादी		**प्रतिवादीगण**
1. बजरंगसिंह पुत्र भँवरसिंह, उम्र–75साल, जाति–राजपूत, निवासी–तारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. गोमसिंह पुत्र सादुलसिंह, 3. तेजसिंह पुत्र सादुलसिंह, 4. बालसिंह पुत्र सादुलसिंह, 5. श्रवणसिंह पुत्र सादुलसिंह, 6. रिछपालसिंह पुत्र सादुलसिंह, 7. प्रेमकँवर पत्नी सादुलसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–तारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रिकॉर्ड दुरस्ती, अन्तर्गत धारा 136 R.T. Act.

दिनाँक **15.02.2019**

यह मुकद्‌दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्‌दई श्री औमप्रकाश पूनियाँ, वकील, वादी ओर से मद्‌दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद तारपुरा में खेत खसरा नम्बर 198 रकबा 03.4400 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 202 रकवा 1.9100 हैक्टेयर भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता के नाम का वर्तमान इन्द्राज ''बजरंगसिंह पुत्र सांवतसिंह'' के स्थान पर ''बजरंगसिंह पुत्र भँवरसिंह'' दुरस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.................–....................खर्चा इस मुकद्‌दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **15.02.2019** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः—57—2019 / रीडर / 2019 / 170 दिनाँक 15/2/19

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
रिकॉर्ड दुरस्ती, अन्तर्गत धारा 136 R.T. Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. बजरंगसिंह पुत्र भँवरसिंह, उम्र—75साल, जाति—राजपूत, निवासी—तारपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. गोमसिंह पुत्र सादुलसिंह, 3. तेजसिंह पुत्र सादुलसिंह, 4. बालसिंह पुत्र सादुलसिंह, 5. श्रवणसिंह पुत्र सादुलसिंह, 6. रिछपालसिंह पुत्र सादुलसिंह, 7. प्रेमकँवर पत्नी सादुलसिंह, समस्त,जाति—राजपूत, निवासी—तारपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner